श्री सभापति : मेरे पास अगर रेड सिगनल हो तो बड़ा अच्छा हो ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, कोई ऐसी योजना रेलवे ने, जैसा माननीय सदस्य ने इशारा किया, प्लानिंग कमीशन के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की है । मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि नेशनल ट्रांसपोर्ट पोलिसी कमेटी ने, जिस की रचना प्लानिंग कमीशन ने की थी इसी इरादे से की थी कि कहां-कहां रेल का एक्सटेंशन होना चाहिए कौन इंडस्ट्रियल एरिया, है कौन से खनिज के एरिया हैं, कौन से बैकवर्ड एरियाज है, किस तरह उनका एक्सटेंशन किया जाय, कैसे यातायात के बाटलनेक्स को खत्म किया जाये । इसलिए ट्रांस्पोर्ट पोलिसी कमेटी ने विचार किया और उस की रिपोर्ट. . .

श्री रामानन्द यादव : उसमें मिनरल्स का था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : उसमें मिनरल्स का भी था, सब था आप पढ़िए तो सही ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : पढ़ने से उन्हें क्या मतलब ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : उसके अनुसार हम भी विचार कर रहे है कि अगले पांच सालों मे किस तरह काम करेंगे । प्लानिंग कमीशन हमको आदेश देगा कि इन लाइन्स पर आप कार्यवाही करें तो रेलवे जरूर उन्हें कार्यान्वित करने की चेष्टा करेगी । प्लानिंग कमीशन मंजूर करेगा तो फंड्स भी अलाट होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा भी देगा । हमारे लिए, असल तरीके से देखा जाये, तो यह बहुत सुविधाजनक होगा ।

Regularisation of casual workers on the Railways

*242. SHRI HUKMDEO NARAYAN YADAV:†
SHRI J. K. JAIN:
SHRI JAHARLAL BANERJEE:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the number of casual workers at present engaged on the Railways;

(b) whether Government are taking any steps to regularise casual labour engaged on the Railways; and

(c) whether any time schedule has been fixed for the purpose?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) About 2.32 lakhs.

(b) Yes, Sir. Casual Labourers are regularised according to the availability of regular vacancies.

(c) It is regretted that it is not possible to lay down any time schedule for their regular absorption as it depends upon the number of regular vacancies available for absorption of Casual Labour. Efforts are, however, being made to create more regular posts so that the maximum number gets regularised.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय सबसे पहले तो मैं प्रार्थना यह करूंगा कि मैं हिन्दी वाला आदमी हूं, अंग्रेजी में जवाब दिया गया, आधा समझा, आधा नहीं । क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया ।

श्री सभापति : उन की भी मुश्किल यही होगी ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : कुछ समझ ही नहीं पाया ।

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri **Hukmdeo Narayan Yadav.**

श्री रामानन्द यादव : मशीन लगा लीजिए ।

श्री हुक्म देव नारायण यादव : यह मशीन भी लगा ली, लेकिन मशीन में भी इस तरह कहा गया कि वह भी मैं नहीं समझ पाया । हिन्दी के तत्क्षण अनुवाद को मैंने सुना, लेकिन वह तत्क्षण अनुवाद भी समझने लायक नही है ।

SHRI M. KALYANASUNDARAM: The same difficulty is faced by people who do not know Hindi.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कि 2.32 लाख जो आदमी नैमित्तिक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं—अब नैमित्तिक शब्द हिन्दी में कह दिया गया है केजुअल के बदले में थे—अत्यन्त गरीब लोग है और परिश्रमी लोग है, काम पर लिये जाते हैं और सरकार ने यह बताया कि जब स्थान खाली होता है तब हम उनको नियमित करते हैं, तो जो स्थान रिक्त होते है और इन को नियमित किया जाता है उसमे ही काफी गडबड़ी होती है । नियमित उनको किया जाता है . . .

श्री सभापति : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री हुक्म देव नारायण यादव : हमारा प्रश्न यही है कि जो उत्तर दिया गया है उसी के संबंध में हमारा प्रश्न है ।

श्री सभापति : उसका उत्तर तो हो चुका है । क्या उसे दुबारा पढ़ना पड़ेगा ?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : जी नहीं । सरकार का जो उत्तर था उसमें कोई समय तालिका नहीं है । सरकार ने यह बतलाया है कि ज्यों-ज्यों जगह उपलब्ध होती हैं त्यों-त्यों उनको स्थायी करते है । यह उत्तर उन्होंने दिया है । स्थान के अनुसार नियमित करते हैं ।

श्री सभापति : जगह नही होंगी तो उनको कहां रखेंगे ?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जगह रहती है । लेकिन होता यह है कि अगर मुझे नियमित करना हो तो मुझे नियमित न करके आपको नियमित कर दिया जाता है ।

श्री सभापति : मुझे तो किसी से नही किया ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इस तरह की गड़बड़ी होती है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस तरह से केजुअल लेबर को जो नियमित किया जाता है उसके लिए क्या सरकार के पास कोई नियम या कायदा-कानून है या नही ? सरकारी नियमों और कायदों के अनुसार कितने दिनों तक काम करने वाले आदमियों को रेलवे मे नियमित कर दिया जाता है ।

MR. CHAIRMAN: The question is about vacancies and whether they are properly filled or not.

श्री सी० के० जाफर शरीफ : माननीय सदस्य ने जो बात बताई है उनकी बात को मैं समझ गया हूं । मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह की कोई संभावना नहीं है । लेकिन फिर भी उनके पास इस बारे में आंकड़े हों तो वे हमें बतायें ताकि हम उसको देख सकें ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो केजुअल लेबर है उनको आप जो परमानेन्ट करते हैं उनको परमानेन्ट करने के सरकार के पास क्या नियम है जिनके तहत उनको परमानेन्ट किया जाता है और कितने दिनों तक आप किसी केजुअल लेबर को काम करते रहने देते है और फिर कितने दिनों में परमानेन्ट करते है ? इस बारे में क्या नियम हैं, यह मैं पूछ रहा हूं । इसका क्या क्राइटेरिया है ?

SHRI MALLIKARJUN: Sir, for the sake of regularisation of the existing

casual labour, we have stopped direct recruitment to Class IV except for limited purpose. And we have also appointed one additional heads of departments committee to go into it and suggest as many number of regular vacancies against which casual labourers can be absorbed.

श्री सभापति : श्री जैन ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : श्रीमन्, मेरा दूसरा प्रश्न नहीं हुआ है ।

श्री सभापति : अब तो आपका तीसरा प्रश्न शुरु होता है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : श्रीमन्, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस तरह से केजुअल लेबर को परमानेन्ट करने के संबंध में जो संख्या ली जाती है उसमें केजुअल लेबर की कोई लिस्ट नहीं रखी जाती है कि कौन-कौन कितने दिनों से काम कर रहा है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें आप कोई सुधार करना चाहते हैं या नहीं ? मान लीजिये मैं केजुअल लेबर में 260 दिनों से लगातार काम कर रहा हूं तो मुझे परमानेन्ट किया जाना चाहिए । लेकिन होता यह है कि 255 दिन पर हमारी सर्विस ब्रैक कर दी जाती है जिससे कि हमारा हक हमें नहीं मिल सके । इस तरह से परमानेन्ट बनाने का गरीबों का हक मारा जाता है । इस संबंध में क्या सरकार कुछ करने जा रही है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जो ओपन लाइन में केजुअल लेबर हैं उनको चार महीने के बाद टेम्परेरी स्टेट्स देते हैं और जो प्रोजेक्ट में...

श्री सभापति : 255 दिनों के बाद जिनको रोक दिया जाता है ताकि वे परमानेन्सी में न आ सकें, यह उनका सवाल है ।

श्री सी०के० जाफर शरीफ : सभापति जी, मैंने पहले ही बताया था कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर उनके पास इस बारे में आंकड़े हों तो हम गौर करेंगे ।

श्री सभापति : श्री जैन ।

श्री जे० के० जैन : मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है ।

SHRI JAHARLAL BANERJEE: Sir, the Government very kindly accepted the recommendation of the Catering Committee and decided to take the commission-bearers of the different canteens as regular railway employees. How many of them have been taken and what is the number left? Is the Government thinking of treating them also as casual labour? This is my question.

SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF: Sir, we seek separate notice for this.

SHRI PILOO MODY: Mr. Chairman, Sir,......

MR. CHAIRMAN: Mr. Kalyanasundaram. You have come very late.

SHRI PILOO MODY: I came before this question started.

MR. CHAIRMAN: Mr. Kalyanasundaram.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: The casual labourers are mainly engaged in the permanent way works of loco sheds. I am referring only to those casual workers who are engaged in regular departments and not in construction works. These casual labourers are there for five years or ten years as casual labourers. I do not know whether the translation was correct because I heard the Minister saying that after four months they are being made permanent. It is not at all correct.... *(Interruption)*.

SHRI PILOO MODY: The Minister also says it is not true.

MR. CHAIRMAN: Please ask your question.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: There are considerable numbers of permanent vacancies in the workshops in the loco sheds and also in the permanent way works. These vacancies are not being filled up. If they take steps to fill up these vacancies, a considerable portion of the casual labourers can be absorbed against vacancies. Will the hon. Minister instruct the zonal railways to immediately fill up all the existing vacancies some of which have been existing for over four or five years? They want to show this as economy while the number of officers in the higher grades is increased. I can quote several instances if the hon. Minister is interested...

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI: What is your question?

SHRI M. KALYANASUNDARAM: My question is whether instructions will be issued to the zonal railways to fill up all the existing vacancies in the workshops in the loco sheds and in the permanent way.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI: That is correct. We have asked the Zonal Managers to fill up the vacancies as early as possible.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: I wanted to know whether it is a fact or not that before taking this decision the committee under the chairmanship of Mr. Mohd. Shafi Quereshi was also formed and they have recommended something about absorption of casual labour. What steps have the Railway Board taken so far to absorb those casual employees? Is it also a fact that so many casual labourers have passed the high-school examination and are eligible for Class III posts. Is the Railway Board thinking of giving an opportunity to them to be selected for these posts?

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, मुझ को पता नहीं है कि शफ़ी कुरेशी की कोई कमेटी बनी है । उनकी एक कमेटी बनी थी दूसरे काम के लिये, स्टोर के बारे में । उसने जो सिफारिश की है उसमें कैजुअल लेबर के बारे में बहुत सी चीजें लिखी है । उनके मुताबिक जो लोग चार महीने तक ओपन लाइन में काम कर रहे है उन्हे टेम्पोरेरी स्टेटस दिया गया है और जिन्हे टेम्पोरेरी स्टेटस मिलता है उनकी रेगुलर पे वही होती है जो रेगुलर की होती है । वही फैसिलिटी उनको मिल जाती है जो रेगुलर होने के बाद फैसिलिटी मिलती है । जैसे जैसे वेकैंसी होती है—टेम्पोरेरी स्टेटस जिनको मिला हुआ है उनसे आदमी लेकर उन वैकेंसीज मे उनको भर्ती कर लिया जाता है । यह उसका प्रोसिजर है । इसी प्रोसिजर से काम हो रहा है और किया जा रहा है । मैं समझता हूं केजुअल लेबर का बहुत बड़ा प्रश्न है इसलिये इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए । मैंने इस सदन मे भी और उस सदन में भी बजट के समय यह कहा था कि मैं इस विषय को देख रहा हूं और अधिक से अधिक जो केजुअल लेबर काम कर रहा है वह टेम्पोरेरी स्टेटस में आ जाए और रेगुलराइजेशन उसका हो जाए ताकि वे सारी सुविधाएं उनको मिल सके । मान्यवर, हमारे यहां अनएम्पलायमेंट का बहुत बड़ा सवाल है । रोज आते है लोग एम्पलायमेंट के लिये । उनको क्लास-4 मे रखा जाता है । कम से कम उनको एम्पलायमेंट तो मिल जाती है, चाहे केजुअल रहें तब भी । अगर उससे हट जाते है तो वे रोते है, कहते है कि हमको क्यों हटाया है । हमारी रोटी छीनी जा रही है । यह पोजिशन है । हम इस को ऐसा बनाना चाहते है कि इसमें रेगुलराइजेशन होता रहे, वैकेन्सीज फिल-अप होती रहे और साथ ही साथ एम्पलायमेंट के जो रास्ते है वे बन्द न होने पाये ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Goswami.

SHRI PILOO MODY: I do not want to ask any question.

MR. CHAIRMAN: You are not being allowed.

SHRI PILOO MODY: I have been asking questions without being allowed for the last 15 years.

MR. CHAIRMAN: You know, "The old order changeth, yielding place to new,........Lest one good custom should corrupt the world."

SHRI PILOO MODY: Then, Sir, I will put two questions.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Goswami. (*Interruptions*). I cannot allow everybody.

SHRI DINESH GOSWAMI: Sir, there are two aspects of the matter? One is that there is a tendency on the part of the railway employers to keep some labourers as casual labourers and, as has been pointed out, they are given a gap for some time so that the eligibility which they acquire by way of their work for four months, they lose. The second aspect is that for every employment in the railways, the railways have to follow certain procedures under the Employment Exchange Act. In order to avoid that, what the officers do or what the employers do is that they put somebody as casual labourers for some time, and if they have some interest in that person, they regularise him and thereby they avoid the Employment Exchange Act or regulations which are there. In view of this, may I know whether the Government will make any study to find out why this is happening because, on the one hand, this has been misused to deny the casual labourers of their rightful employment and, on the other, this provision is misused in the other way that persons in whom the officer or employer is interested are given jobs as casual labourers and thereafter confirmed.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। आप यह कहते हैं कि 4 महीने का जो नियम बना हुआ है उसमें 3 महीने में हटा लेते हैं या 2 महीने में हटा लेते हैं और 'जो टेम्परेरी स्टेटस मिलने वाला होता है, आफ्टर फोर मन्थ्स, वह नहीं मिलता। अगर ऐसा होता है तो निहायत गलत होता है। मैं कह चुका हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने यह अपने आफिसरों को कह दिया है, क्योंकि लोगों ने यह शिकायत की है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई सबूत हो और वे मुझे दे दें तो अच्छी बात होगी। मैं इसमें और सख्ती के साथ काम कर सकूंगा। मैं ऐसा समझता हूं कि यह चीज गलत है कि 3 महीने 29 दिन कोई काम करने वाला 3 दिन के लिये हटा दिया जाय और फिर उसको रख लिया जाय। अगर ऐसा होता है, तो गलत होता है। इसको हम पूरी तरह से रोकने की चेष्टा करेंगे और इसकी कोशिश कर रहे है कि ऐसा न हो।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Khurshed Alam Khan.

SHRI R MOHANARANGAM: Sir, is it not a convention in this House that when a Member puts a question in English, the answer also should be in English? (*Interruptions*). When Mr. Goswami has put a question in English, the Minister has answered it in Hindi. Is it not a convention in the House that when a Member puts a question in English, the answer also should be in English? (*Interruptions*). Since he has put the question in English, the answer also should be in English.

SHRI DINESH GOSWAMI: Sir, my other question was, the second part of my question was, that some officers or employers in the railways confirm only those people in whom they are interested. So, will the honourable Minister kindly look into this aspect also?

MR. CHAIRMAN: He has already assured you.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI: Sir, unless we get some evidence or proof, what can I do? अगर आपके पास कोई ऐसा मामला हो If you get some examples like that, please send

them to me and we shall take action against them.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Khurshed Alam Khan. Then, I will pass on to the next question.

(*Interruptions*)

SHRI KHURSHED ALAM KHAN: Sir, I would like to know what the procedure is for the recruitment of the casual labourers, what procedure is adopted for giving them temporary status and when they are regularised, whether they have to appear before a Selection Board or they have to appear before the officers under whom they have worked and they take only the past service of these casual labourers for consideration.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, इसका जवाब मैं दे चुका हूं । चार महीने जो रेगुलर काम कर लेता है उसको टेम्परेरी स्टेटस दे देना चाहिए, अंडर दि रूल्स जिनको टेम्परेरी स्टेटस मिल जाता है, उनको सारी फेसिलिटीज वह मिल जाती हैं जो रेगुलर लेबर के पास होती है, तनख्वाह भी वही मिलने लगती है, जो रेगुलर की होती है और जो वैकेंसीज होती है, उन वैकेंसीज को फिल-अप करने के लिये ऐसे टेम्परेरी स्टेटस वाले जो कैजुअल लेबर्स है, उनमें से ही आदमी ले लिये जाते हैं । इसके लिये एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो स्क्रीन करती है और उसके बाद उसको रेगुलर करते हैं । अगर इसमें कहीं कोई शिकायत की बात हो तो मेरे पास लिख दें उसका नोटिस हम लेंगे और उस पर उचित कार्यवाही होगी ताकि ऐसा गलती आगे से न हुआ करे ।

SHRIMATI MONIKA DAS: Sir, one question...

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No. I am very sorry. So many I have over-ruled, including Mr. Piloo Mody.

(*Interruptions*)

SHRIMATI MONIKA DAS: Only one question I want to ask.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No. I won't allow.

(*Interruptions*)

SHRIMATI MONIKA DAS: In South Central Railway there were 4000 employees, Class III and Class IV and casual labourers... (*Interruptions*) Many people were there for more than one year, or six months... (*Interruptions*) All of a sudden, they completely stopped all the four thousand, and... (*Interruptions*) Immediately, I sent a letter to the General Manager, South Central Railway, about this, but he did not reply. (*Interruptions*) May I know what is his reply to ...

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I am very sorry. This question will not be answered. Next question.

(*Interruptions*)

Labour problem at the Agro-chemicals plant at Goa

*243. SHRI RAMANAND YADAV:†
SHRI BHAGATRAM MANHAR:
SHRI PRAKASH MEHROTRA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the three month old labour problem at the Zuari agro-chemicals plant in Goa is still continuing; and

(b) if so, what are the reasons therefor and what action Government are taking to resolve the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) and (b) The matter falls in the State sphere. According to a report received from the Government of the Union Territory of Goa, Daman and Diu, an industrial dispute had arisen in the Zuari Agro-Chemicals Plant, Sanoole, Goa as a

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ramanand Yadav.